राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

कमांक प.7(1)गृह–7/2021

जयपुर, दिनांकः 13.02.2022

आदेश

वैश्विक रूप से कोविड–19 महामारी को लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है, जिसके दौरान विश्वभर में विभिन्न गतिविधियों पर पूर्ण/आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गये हैं। कोरोना संक्रमण के इस विकट दौर में बढ़ते पॉजिटिव मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु देश के साथ–साथ प्रदेश में भी समय–समय पर दिशा–निर्देश/आदेश/संशोधित आदेश जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध/शिथिलन जारी किये गये हैं।

पिछले कुछ दिनों से देशभर में कोविड–19 संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, इन वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर एवं जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु पूर्व में जारी **समस्त दिशा–निर्देश/आदेश/संशोधित आदेशों का अतिक्रमण कर इनके द्वारा लगाये गये समस्त प्रतिबंधों को निरस्त** करते हुए निम्नानुसार नवीनतम दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में समस्त निजी/सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। विद्यार्थियों को माता–पिता/अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् ही अध्ययन हेतु परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।

2. सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है तथा उक्त प्रावधान के उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

   घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72

घण्टे के अन्दर करवाई गई **RT-PCR** नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/**RT-PCR** नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गयी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 10.02.2022 (संलग्न) की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।

4. उक्त आदेश दिनांक **16 फरवरी, 2022** से प्रभावी होगा।

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव